न्यायालय मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, अरवल।
परिवाद पत्र सं0 – 371सी /2025
खुशबु कुमारी बनाम मनीष कुमार

07.04.2026 वाद पुकारा गया। प्रस्तुत मामले में वाद आज जॉच साक्ष्य पर निर्धारित है। सुनवाई का अवसर बंद किया गया। मामलें में जॉच साक्ष्य का अवसर बंद किया गया। परिवादी अनुपस्थित है तथा उसकी तरफ से किसी तरह का कोई हाजरी और पैरवी नही है। प्रस्तुत मामले में आज जॉच साक्ष्य बंद किया गया। प्रस्तुत मामलें में परिवादी को विभिन्न तिथियो को मौका दिया गया परंतु परिवादी न्यायालय में उपस्थित नही हुआ।

अतः प्रस्तुत मामले में समस्त तथ्यों के अवलोकन के पश्चात न्यायालय यह पाती है कि मामलें में परिवादी के द्वारा अपने शपथ पर बयान में कहा है की घटना 2024 से है। मेरे पति मेरे साथ मार–पीट करते है, पैसा मांगते है, 2025 में भी मार–पीट किये और धमकी देते है की दूसरी शादी कर लेंगे। मेरा गहना तथा मंगल सुत्र आदि छीन लिये। मार–पीट के बाद 02 माह से मायके मे है। एक साक्षी ने घटना का समर्थन किया है परंतु पर्याप्त अवसर देने के बाद भी परिवादी लगातार न्यायालय से अनुपस्थित रही। जिसके कारण मामलें में आगे की कार्रवाई संभव नही हो पाया। मामला पारिवारिक है। अतः मामलें को पर्याप्त तथ्यो के आभाव में **खारिज** किया जाता है।

कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि वह आदेश फलक को एन.जे. डी. जी. पर अपलोड करे तत्पश्चात् अभिलेख को अभिलेखागार में जमा करें।

लेखापित,

दिनांक –07.04.2026

स्थान– व्यवहार न्यायालय, अरवल

(मनीष कुमार पाण्डेय)
(जे0 ओ0 कोड बी0 आर0 00961)
मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी,अरवल।